फार्म –"अ"

(परिपत्र दो–1 की कण्डिका 6 देखिये)

राजस्व आदेश–पत्र (रेव्हेन्यू ऑर्डर शीट)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अभनपुर का मामला क्रमांक 2025061111000.39.... सन् 2024–25

विषय वृक्ष कटाई मावजे की श्रेणी अ/62 ग्राम गोबरा नवापारा बन्दोबस्त क्रमांक .... पटवारी हल्का क्रमांक .... तहसील अभनपुर कलेक्टर का क्रमांक .... सन् 20 –......

आदेश अथवा कार्यवाही की तारीख और स्थान	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आदेश अथवा कार्यवाही 2025061111000.39...अ/62 वर्ष 2024–25	जहाँ आवश्यक हो पक्षों अथवा वकीलों का हस्ताक्षर आदेशों का पालन करने वाले लिपिक के हस्ताक्षर और ऐसे पालन की तारीख
(1)	(2)	(3)
09/6/25	आवेदक मेसर्स जिनेन्द्र खाद भण्डार गंज रोड नवापारा पार्टनर श्री मनोज कुमार जैन पिता स्व. जिनेन्द्र कुमार जैन व अन्य 2 सभी निवासी वार्ड नं. 14 सदर रोड गोबरा नवापारा द्वारा **आवेदक के ग्राम गोबरा नवापारा स्थित भूमि खसरा नंबर 830/5 का भाग रकबा 2.485 हे. में से 9184 वर्गफुट प्रचलित आबादी भूमि में 06 नग पीपल का पेड़, 02 नग बरगद पेड़ जो दीवाल में से लगे हुए जिससे भविष्य में जान माल की होने की संभावना होने से वृक्ष की कटाई व बिकी की अनुमति संबंधी** आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। 2/– प्रकरण दर्ज हो। 3/ तहसीलदार गोबरा नवापारा एवं वन विभाग से संयुक्त स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त। 3/– उपरोक्तानुसार अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि **आवेदक के ग्राम गोबरा नवापारा स्थित भूमि खसरा नंबर 830/5 का भाग रकबा 2.485 हे. में से 9184 वर्गफुट प्रचलित आबादी भूमि में 06 नग पीपल का पेड़, 02** नग बरगद पेड़ को काटे जाने पर संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई आवेदन पर अनुशंसा अभिव्यक्त की जाती है। कटे हुए वृक्ष के बदले वन विभाग द्वारा निर्धारित स्थल पर नियमानुसार संबंधित विभाग वृक्षारोपण करेगा तथा कटे हुए वृक्ष का परिवहन वन विभाग द्वारा किया जावेगा। छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969(क. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927(1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन(वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुशंसा शून्य होगी। अनुशंसा आदेश जारी हो । पश्चात प्रकरण नस्तीबद्ध कर दाखिल दफ्तर हो । अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अभनपुर	

Scanned with CamScanner

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) अभनपुर जिला रायपुर छ0ग0

प्ररूप–ड.

[नियम 7(2)देखिये]

अनुशंसा

प्रति,

मेसर्स जिनेन्द्र खाद भण्डार गंज रोड नवापारा
पार्टनर श्री मनोज कुमार जैन पिता स्व. जिनेन्द्र कुमार जैन व अन्य 2
सभी निवासी वार्ड नं. 14 सदर रोड गोबरा नवापारा,
जिला रायपुर छ0ग0

विषय :– **प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष की कटाई हेतु अनुशंसा।**

विषयांतर्गत आपका आवेदन दिनांक **02.04.2025** को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। राजस्व विभाग एवं वनविभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु ज्ञापन दिनांक **02.04.2025** को जारी किया गया। संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक **03.06.2025** को प्राप्त हुआ। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है :– **आवेदक के ग्राम गोबरा नवापारा स्थित भूमि खसरा नंबर 830/5 का भाग रकबा 2.485 हे. में से 9184 वर्गफुट प्रचलित आबादी भूमि में 06 नग पीपल का पेड़, 02 नग बरगद पेड़ जो दीवाल में से लगे हुए जिससे भविष्य में जान माल की होने की संभावना होने से वृक्ष की कटाई की अनुमति ।**

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि **आवेदक के ग्राम गोबरा नवापारा स्थित भूमि खसरा नंबर 830/5 का भाग रकबा 2.485 हे. में से 9184 वर्गफुट प्रचलित आबादी भूमि में 06 नग पीपल का पेड़, 02 नग बरगद पेड** है, को काटे जाने पर संहिता के किन्ही उपवधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई आवेदन पर अनुशंसा अभिव्यक्त की जाती है।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969(क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927(1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन(वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुशंसा शून्य होगी।

यह अनुशंसा आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)
अभनपुर, जिला रायपुर (छ0ग0)

क्रमांक 196/वाचक–1/अविअ/2025 अभनपुर दिनांक 09/06/2025

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर, जिला रायपुर को सूचनार्थ संप्रेषित।
2. वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तहसीलदार, गोबरा नवापारा को वृक्ष कटाई पश्चात राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)
अभनपुर, जिला रायपुर (छ0ग0)

Tree Cutting

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

Scanned with CamScanner